

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1—अपील संख्या 1446 / 2012 दौसा

2—अपील संख्या 1447 / 2012 दौसा

मैसर्स श्री गोपाल हैण्डीक्राफ्ट,  
मानपुर, महुआ जिला दौसा

.....प्रार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट द्वितीय, महुआ, दौसा

.....अप्रार्थी

एकलपीठ  
राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

उपस्थित ::

श्री रमेश गुप्ता,  
अभिभाषक।

.....प्रार्थी की ओर से

श्री रामकरण,  
उप—राजकीय अधिवक्ता,

.....अप्रार्थी की ओर से

दिनांक : 04.12.2014

निर्णय

प्रस्तुत अपीलें विरुद्ध आदेश दिनांक 25.04.2012 अन्तर्गत धारा 33 राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम, 2003 प्रस्तुत की गयी है। यद्यपि प्रकरण संख्या 1446 / 2012 राजस्थान मूल्य परिवर्धित से सम्बन्धित है एवं प्रकरण संख्या 1447 / 2012 केन्द्रीय विक्रय कर से सम्बन्धित है, फिरभी दोनों के तथ्य एक जैसे होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार को सुना गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट का कहना है कि अपीलान्ट हैण्डीक्राफ्ट गुड्स का निर्माता है एवं उक्त सामग्री का निजी विक्रय व निर्यातकों को फार्म वैट 15 के अन्तर्गत एवं अन्तर्राज्यीय विक्रय फार्म एच के अन्तर्गत आलौच्य अवधि में किया गया है। आलौच्य अवधि में निर्यात रु. 24,61,985/- फार्म एच के अधीन एवं रु. 01,49,100/- वैट फार्म 15 के अधीन, कुल विक्रय 05,93,362/- रु. का किया गया है। अपीलान्ट ने वैट इन्चार्झेस जारी किया जैसाकि नियम 38(1) राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम, 2006 में प्रावधित है और निर्यातकों को भेजी गयी सामग्री का बिल नियम 38(8) में जारी किया गया जैसाकि नियमों में प्रावधित है। अपीलान्ट का कथन है कि नियम 38(1),(2) एवं (8) इस प्रकार से है—

“38(1) **Issuance of an Invoice:-** A registered dealer, other than registered dealer who opts for payment of tax under sub-section(2) of section 3 or under section 5, making a taxable sale shall issue a vat invoice marked as

original to the purchaser for each sales made by him and shall retain a copy thereof.

(2) The VAT invoice issued under sub-rule (1) shall contain the following particulars on the original as well as on all the copies thereof.

- (a) The word “VAT INVOICE” and in case the option under sub section (7) of section 4 has been exercised the expression “INVOICE FOR TAX ON MRP” in bold letters at the top or at any prominent place;
- (b) The name, address and registration number of the selling dealer;
- (c) The name, address of the purchaser and where the purchaser is registered under the Act the registration number of the purchasing dealer;
- (d) Continuous serial number running throughout the year and the date on which the VAT invoice is issued;
- (e) Full description of the goods;
- (f) The quantity or number, as the case may be, of the goods;
- (g) The value of the goods sold;
- (h) The rate and amount of the tax charged thereon indicated separately; and
- (i) Signature of the selling dealer, or his declared business manager or person authorized by the selling dealer.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) above, where a dealer registered under the Act is also registered under the Central Excise Act, 1944 (Act No.1 of 1944) and issues an invoice for removal of goods in the course of inter-State trade or commerce, containing the particulars as prescribed in sub-rule (2), it would be treated as VAT invoice and the provisions of sub-rule (3) and (4) shall mutatis mutandis apply.”

अपीलान्ट का यह कथन है कि वह बिल जारी करने के सम्बन्ध में दो अलग-अलग प्रणाली काम में लाता है। एक प्रणाली मैन्यूवल बिल के द्वारा है जो कि स्थानीय विक्रय से सम्बन्धित है जबकि निर्यातकों को कम्प्यूटराईज बिल जारी किया जाता है। अपीलान्ट का यह भी कहना है कि दोनों प्रणालियों में इन्वाईस नम्बरों का सिरीज भिन्न है परन्तु दोनों प्रणालियों में बिल नम्बर एक ही प्रयुक्त होता है लेकिन इससे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है और इस बात की पहचान तुरन्त हो सकती है कि कौनसी सामग्री स्थानीय विक्रय की गयी है एवं कौनसी सामग्री का निर्यात किया गया है। अपीलान्ट का यह भी कहना है कि उसका धार्मिक आस्था के अनुरूप दोनों प्रणालियों में सिरीज नम्बर 51 से बिल बनाना शुरू हुआ है। अपीलान्ट का कहना है कि कर निर्धारण अधिकारी ने रु. 74,170/- का कर 12.5 प्रतिशत की दर से एवं रु. 20,575/- का ब्याज उनके वैट 15 के अधीन किये गये विक्रय पर आरोपित किया क्योंकि अपीलान्ट वैट 15 समय से पूर्व प्रस्तुत नहीं कर सका है। अपीलान्ट का यह कहना है कि वैट 15 का फार्म जो कि विक्रय मूल्य रु.

05,93,362/- से सम्बन्धित है जो दिनांक 15.03.2011 को प्रस्तुत किया और इसके सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिनांक 28.04.2011 को सूचित किया। फिरभी विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने उनके जवाब को स्वीकार नहीं किया और उनके फार्म 15 ए को निरस्त कर दिया। इसी तरह अपीलान्ट द्वारा निर्यात किया हुआ विक्रय मूल्य 24,61,985/- पर कर रु. 03,07,748/- आरोपित किया और यह माना गया कि अपीलान्ट ने निर्यात होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके साथ ही कर निर्धारण अधिकारी ने रु. 86,157/- का ब्याज भी आरोपित किया है। इन दोनों आदेशों से व्यक्ति तो कर अपीलान्ट ने विद्वान उपायुक्त (अपील्स) तृतीय वाणिज्यिक कर, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिन्होने उसकी अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया और कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 27.04.2011 को यथावत रखा।

अपीलान्ट का कथन है कि मुख्य रूप से उसके विरुद्ध दो आरोप लगाये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं –

- (1) स्थानीय विक्रय एवं निर्यात दोनों में एक ही सीरियल नम्बर से बिल्स जारी करना एवं (2) निर्यात का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करना।

अपीलान्ट का यह भी कहना है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 12(11)एफडी/टेक्स/2013–14 दिनांक 06.03.2013 द्वारा जो कर निर्धारण दिनांक 30.09.2012 तक सम्पन्न हो गया था उससे सम्बन्धित घोषणा पत्र अथवा सर्टिफिकेट्स दिनांक 30.06.2013 तक जमा कराने की अवधि बढ़ा दी गयी थी। उनका यह भी कहना है कि इस बढ़ी हुयी अवधि में उनके द्वारा सभी घोषणा प्रपत्र जमा करा दिये फिरभी कर निर्धारण अधिकारी एवं उपायुक्त (अपील्स) ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने पक्ष में अपीलान्ट ने (2009) 19 वैट 414 मद्रास उच्च न्यायालय का हवाला दिया जिसमें माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने कर निर्धारण अधिकारी को मामले पर पुर्नविचार करने का निर्देश दिया है। इस निर्णय में प्रार्थी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी के आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी थी क्योंकि वाणिज्यिक कर अधिकारी ने प्रार्थी के एफ फार्म को त्रुटिपूर्ण मानते हुये उसे निरस्त कर दिया था। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने यह माना कि वाणिज्यिक कर अधिकारी ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन नहीं किया और उनका कर्तव्य था कि वह अपीलान्ट को अपने दिये गये एफ फार्म से त्रुटियां हटाने का अवसर प्रदान करते। फलतः माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों को निरस्त किया एवं पूर्व में दिये गये त्रुटिपूर्ण एफ फार्म को पुनः अपीलान्ट को इस निर्देश के साथ दिये गये कि वह त्रुटियों को दूर कर पुनः वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रस्तुत करे।

अपीलान्ट का कहना है कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश उनके मामले में पूर्णतया लागू होते हैं और इसी तरह जो भी कर, ब्याज आदि कर निर्धारण अधिकारी ने आरोपित किया है एवं जिसे उपायुक्त (अपील्स) यथावत रखा है उन्हे निरस्त किया जाय।

पैरोकार सरकार का कहना है कि यदि निर्यात होता तो ऐसी अवस्था सीमा शुल्क अधिकारियों की टिप्पणी अवश्य होती। सीमा शुल्क अधिकारियों की टिप्पणी या पृष्ठांकन के अभाव में निर्यात सिद्ध नहीं होता है।

हमने पत्रावलियों का अवलोकन किया। पैरोकार सरकार ऐसा कोई तर्क नहीं दे पाये जिससे यह सिद्ध हो कि स्थानीय विक्रय अथवा निर्यात के बिल एक नहीं हो सकते। नियम 38 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्थानीय विक्रय एवं निर्यात की गयी सामग्री की इन्वाईस अलग-अलग हों, यदि अपीलान्ट अपना समस्त रिकार्ड और अपने बुक आफ एकाउन्ट में दोनों प्रकार के विक्रय को सही दर्शाता है तो उसमें प्रथम दृष्टया यह त्रुटि नहीं मानी जा सकती। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि निर्यात के इन्वाईस पर सीमा शुल्क अधिकारियों का पृष्ठांकन उपलब्ध है, उदाहरण के तौर पर इन्वाईस नम्बर 51/2008 दिनांक 21.04.2008, इन्वाईस नम्बर 52/2008 दिनांक 06.05.2008 एवं इन्वाईस नम्बर 53/2008 दिनांक 12.03.2008 इत्यादि सभी पर अधीक्षक, सीमा शुल्क के हस्ताक्षर उपस्थित हैं। इन सभी दस्तावेजों के आधार पर इस तथ्य में कोई त्रुटि नहीं है कि इन सभी सामग्रियों को निर्यात किया गया है।

उपरोक्त सभी के विवेचन से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि स्थानीय विक्रय एवं निर्यात के बिलों में एक ही नम्बर होना त्रुटिपूर्ण आचरण नहीं है। साथ ही अपीलान्ट ने निर्यातित सामग्री के सम्बन्ध में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पृष्ठांकित दस्तावेज प्रस्तुत कर यह सिद्ध किया है कि वास्तव में निर्यात हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुतु दोनों अपीलें स्वीकार करते हुये विद्वान उपायुक्त (अपील्स) द्वारा दोनों प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 25.04.2012 अपास्त किये जाते हैं तथा दोनों प्रकरण सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि अपीलान्ट व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार पुनः आदेश प्रसारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

  
(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष